

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या -272/2023

अनवान : -

1. कृष्ण कुमार पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर ।
2. राकेश कुमार पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर ।

— वादीगण

बनाम्

1. मेहरचन्द पुत्र जीसुख जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
2. गोपीराम पुत्र मेहरचन्द जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
3. अमीलाल पुत्र मेहरचन्द जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
4. सांवताराम पुत्र मेहरचन्द जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
5. रामप्रताप पुत्र मेहरचन्द जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
6. गिरदावरी पुत्री मेहरचन्द जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
7. राजपाल पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
8. रमेश कुमार पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
9. सिलोचना पुत्री अमीलाल जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
10. रूपाराम पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
11. राजपति पुत्री गोपीराम जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
12. सुमित्रा पुत्री गोपीराम जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
13. सावत्री पुत्री गोपीराम जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
14. धापी पुत्री गोपीराम जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
15. सन्तोष पुत्री गोपीराम जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
16. मन्जू पुत्री रामप्रताप जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
17. पुरुषोत्तम लाल पुत्र सांवताराम जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
18. सुमन पुत्री सांवताराम जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
19. धापा पुत्री सांवताराम जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
20. पूनम पुत्री सांवताराम जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
21. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर ।

— प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थिति :- श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता वादी

  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

निर्णय



संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि वादीगण व प्रतिवादीगण की खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा खोपड़ा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 77/77 के खसरा नं. 142/1, 143/1, 177/3, 188 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 17.5770 है० भूमि व खाता संख्या 29/43 के खसरा नं. 130/1 की कुल 6.7900 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 118/117 के खसरा नं. 130/2 की कुल 2.6300 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि तथा खाता संख्या 106/105 के खसरा नं. 179 की कुल 5.2350 है० भूमि में से 11/24 हिस्सा भूमि तथा खाता संख्या 107/106 के खसरा नं. 120/2, 145, 15/2, 185, 220/1 कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 20.4720 है० भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है। कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण से समस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उपरोक्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण का हक हिस्सा है।

प्रतिवादीया संख्या 6 जो कि वादीगण की बुआ है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने भाई व उनके वारिसों के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 3 जो कि प्रतिवादी संख्या 7 व 8 का पिता है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहता तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पुत्रों के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादीया संख्या 9 जो कि प्रतिवादी संख्या 7 व 8 की बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 2 जो कि वादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 10 का पिता है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहता तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पुत्रों के पक्ष में परित्याग कर दिया है व प्रतिवादीया संख्या 11 ता 15 जो कि वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 10 की बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादीया संख्या 16 जो कि वादी संख्या 1 की बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पिता व भाई के पक्ष में परित्याग कर चुकी है तथा प्रतिवादीया संख्या 18 ता 20 जो कि प्रतिवादी संख्या 17 की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा अपने भाई के पक्ष में परित्याग कर दिया है। इस प्रकार से प्रतिवादी संख्या 2, 3, 6, 9, 11 ता 16 व 18 ता 20 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग रोही मौजा खोपड़ा तहसील नोहर के खाता संख्या 77/77 की कुल 17.5770 है० भूमि व खाता संख्या 29/43 के खसरा नं. 130/1 की कुल 4.7900 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 118/117 के खसरा नं. 130/2 की 2.6300 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि व खाता संख्या

28  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

106/105 के खसरा नं. 179 की 5.2350 है० भूमि में से 11/24 हिस्सा भूमि उपरोक्त सभी खातो में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि पर वादी संख्या 2 काबिज है तथा 1/4 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 4 व 17 ब० हि० ब० काबिज है तथा 1/4 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 7 व 8 ब० हि० ब० काबिज है तथा 1/4 हिस्सा भूमि पर वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 5 ब० हि० ब० काबिज है तथा रोही मौजा खोपड़ा तहसील नोहर के 107/106 की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 यथावत काबिज है। वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स० 1 को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण स० 1 ता 20 ने उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 20 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

साक्ष्यवादी में वादी द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रतिवादीगण संख्या 2, 3, 6, 9, 11 ता 16 व 18 ता 20 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है एवं उक्त प्रकरण में प्रतिवादीगण स० 1 ता 20 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा खोपड़ा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 77/77 के खसरा नं. 142/1, 143/1, 177/3, 188 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 17.5770 है० भूमि व खाता संख्या 29/43 के खसरा नं. 130/1 की कुल 6.7900 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 118/117 के खसरा नं. 130/2 की कुल 2.6300 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि तथा खाता संख्या 106/105 के खसरा नं. 179 की कुल 5.2350 है० भूमि में से 11/24 हिस्सा भूमि तथा खाता संख्या 107/106 के खसरा नं. 120/2, 145, 15/2, 185, 220/1 कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 20.4720 है० भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। वाद ने कथन किया है कि प्रतिवादीगण संख्या 2, 3, 6, 9, 11 ता 16 व 18 ता 20 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है


उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

वादी के उक्त कथन के संबंध में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 20 द्वारा इकबाल जवाब दावा पेश किया गया है। पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान एवं वादी द्वारा प्रस्तुत सदस्य प्रमाण पत्र के आधार पर प्रतिवादी स0 1 मेहरचन्द के वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 20 के अलावा अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 20 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण स0 1 ता 20 को कोई एतराज नही है। वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 20 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

#### क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि ाही मौजा खोपड़ा तहसील नोहर के खाता संख्या 77/77 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 17.5770 है0 भूमि व खाता संख्या 29/43 के खसरा नं. 130/1 की 6.7900 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 118/117 के खसरा नं. 130/2 की 2.6300 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 106/105 के खसरा नं. 179 की 5.2350 है0 भूमि में से 11/24 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर उपरोक्त सभी खातों में से 1/4 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 10 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा 1/4 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 व प्रतिवादी संख्या 17 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा 1/4 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 7 व 8 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा 1/4 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 5 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं खाता संख्या 107/106 की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक.....7/11/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

  
(सत्यनारायण R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर नोहर  
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष-2023  
कैम्प कोर्ट-भंगुली

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या –272/2023

अनवान : –

1. कृष्ण कुमार पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर ।
2. राकेश कुमार पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर ।

— वादीगण

बनाम्

1. मेहरचन्द पुत्र जीसुख जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
2. गोपीराम पुत्र मेहरचन्द जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
3. अमीलाल पुत्र मेहरचन्द जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
4. सांवताराम पुत्र मेहरचन्द जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
5. रामप्रताप पुत्र मेहरचन्द जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
6. गिरदावरी पुत्री मेहरचन्द जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
7. राजपाल पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
8. रमेश कुमार पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
9. सिलोचना पुत्री अमीलाल जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
10. रूपाराम पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
11. राजपति पुत्री गोपीराम जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
12. सुमित्रा पुत्री गोपीराम जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
13. सावत्री पुत्री गोपीराम जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
14. धापी पुत्री गोपीराम जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
15. सन्तोष पुत्री गोपीराम जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
16. मन्जू पुत्री रामप्रताप जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
17. पुरुषोत्तम लाल पुत्र सांवताराम जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
18. सुमन पुत्री सांवताराम जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
19. धापा पुत्री सांवताराम जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
20. पूनम पुत्री सांवताराम जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
21. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर ।


— प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

वाद अन्तर्गतधारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955  
राजस्व वाद संख्या 272 सन 2023 निर्णय दिनांक 07.06.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा वादी एवं प्रतिवादीगण के आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा खोपड़ा तहसील नोहर के खाता संख्या 77/77 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 17.5770 है० भूमि व खाता संख्या 29/43 के खसरा नं. 130/1 की 6.7900 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 118/117 के खसरा नं. 130/2 की 2.6300 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 106/105 के खसरा नं. 179 की 5.2350 है० भूमि में से 11/24 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर उपरोक्त सभी खातों में से 1/4 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 10 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं तथा 1/4 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 व प्रतिवादी संख्या 17 को ब० हि० ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं तथा 1/4 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 7 व 8 को ब० हि० ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं तथा 1/4 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 5 को ब० हि० ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं एवं खाता संख्या 107/106 की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 31/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(सत्यनारायण R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर नोहर  
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023  
कैम्प कोर्ट- भंगुली